# कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 1068 राँची, दिनांक :– 27.10.2023

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग।

विषय :– **गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु 219.80 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/139492/2021) के संबंध में।**

प्रसंगः– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का पत्रांक 1965 दिनांक 22.09.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के पत्रांक 1965 दिनांक 22.09.2023 द्वारा गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु 219.80 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव ऑनलाईन एवं उसकी हार्ड कॉपी पाँच प्रतियों में इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्ताव के समीक्षा में निम्नवत् बिन्दुओं पर कमियाँ/विरोधाभाष पायी गयी है :–

1. वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के Site Inspection report में प्रतिवेदित किया गया है कि Wildlife Plan/CAT Plan के कार्यान्वयन के बिना प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा सिर्फ वचनबद्धता के आधार पर बहुत सारे खनन कार्य शुरू किया गया है। इस संदर्भ में वैसे सभी परियोजनाओं जिसमें बिना Wildlife Plan/CAT Plan के खनन कार्य शुरू किया गया है, उसकी विवरण उपलब्ध कराया जाय।
2. प्रस्ताव के साथ संलग्न माईनिंग प्लान एवं पार्ट–1 में अंकित निम्नवत् तथ्यों में विरोधाभाष है–

   (क) विषयगत परियोजना के माईनिंग प्लान के अनुसार वनभूमि में खनन का रकवा 114.8 हे0 का है, जबकि पार्ट–1 में 100.54 हे0 है। इस विरोधाभाष स्थिति को स्पष्ट किया जाय।

   (ख) माईनिंग प्लान के अनुसार वनभूमि एरिया में External OB Dump का रकवा शून्य है, जबकि प्रस्ताव के पार्ट–1 में External OB Dump के लिये 89.82 हे0 है। इस विरोधाभाष स्थिति को स्पष्ट किया जाय। OB Dumping एक Non-Site Specific कार्य है, इसे वनभूमि पर रखने को औचित्य स्पष्ट किया जाय।

   (ग) माईनिंग प्लान एवं पार्ट–1 में Top Soil के स्टोरेज का विवरण नहीं है।

   (घ) Road and Infrastructure हेतु माईनिंग प्लान में वनभूमि का एरिया 17.07 हे0 है, जबकि प्रस्ताव के पार्ट–1 में कुल 12.80 हे0 (वनभूमि का 10.12 हे0 एवं गैर वनभूमि में 2.68 हे0) है। इस विरोधाभाष स्थिति को स्पष्ट किया जाय। Road and Infrastructure एक Non-Site Specific कार्य है, इसे भी वनभूमि पर रखने को औचित्य स्पष्ट किया जाय।

   (ङ.) माईनिंग प्लान में वनभूमि का कुल रकवा 136.00 हे0 है, जबकि पार्ट–1 में अपयोजन हेतु वनभूमि का रकवा 219.80 हे0 है। इस विरोधाभाष स्थिति को स्पष्ट किया जाय।

   (च) माईनिंग प्लान 2008 का बना हुआ है। वर्तमान परिवेश में इसके रिवीजन की आवश्यकता है, अथवा नहीं इस पर मंतव्य।
3. प्रस्ताव के पार्ट–1 के Serial No.- K में यह अंकित है कि FRA नहीं हुआ है जबकि Additional Information Details में FRA का Certificate Upload है। इस प्रस्ताव के पार्ट–1 में उक्त सुधार की आवश्यकता है।

4. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले निम्नवत् गैर वनभूमि का Ownership/DFO Suitability नहीं है :–

| S.n | District Name | Village | Area in ha. | DFO Suitability | Ownership Detail | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Singhbhum | Kulwadiya | 17 | ✓ | × | Old Plantation visible |
| 2 | Khunti | Tamba | 20.19 | ✓ | × | |
| 3 | Khunti | Tamba | 23.44 | ✓ | × | |
| 4 | Khunti | Sundari | 10.08 | × | × | |
| 5 | Khunti | Purnanagar, Rangamati | 18.59 | ✓ | × | |
| 6 | East Singhbhum | Bagdiha | 34.39 | ✓ | × | Old Plantation visible |
| 7 | East Singhbhum | Kharbanda | 8.05 | ✓ | × | Old Plantation visible |
| 8 | East Singhbhum | Raghunathpur | 14.39 | ✓ | × | |
| 9 | Lohardaga | Tetardanr | 18.09 | ✓ | × | |
| 10 | Lohardaga | Rorad | 10.57 | ✓ | × | |
| 11 | Lohardaga | Hundi | 4.68 | ✓ | × | |
| 12 | Lohardaga | Tetardanr | 32.86 | ✓ | × | |
| 13 | Latehar | Bardauni Kalan | 5.61 | ✓ | × | |
| 14 | Latehar | Lurgumi Khurd | 2.44 | ✓ | × | |
| 15 | Latehar | Medhari | 2 | ✓ | × | |
| 16 | Latehar | Durup | 3.88 | ✓ | × | |
| 17 | Gumla | Tangarjariya | 2.29 | ✓ | × | |
| | | **Total Area** | 228.55 | | | |

उपरोक्त भूमि के Ownership के Supporting Document अपेक्षित है।

5. प्रस्तावित परियोजना के Lease Area के कुछ भाग से नदी गुजर रही है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण से यह सूचना प्राप्त की जाय क्या नदी के Relocation की कोई योजना बनी है या नहीं। साथ ही नदी के Lease Area से गुजरने के खनन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संबंध में मंतव्य सहित प्रतिवेदन अपेक्षित है।
6. Violation नहीं रहने से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रमाण पत्र।
7. Minimum Use of Forest land से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रमाण पत्र।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित निराकरण प्रतिवेदन शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

**अनु0–यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

27/x/23

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

27.10

e:\ranjeet\gondulpara 219.80 ha\letter\gondulpara 219.80 ha..docx